न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एम.पी./एम.एल.ए.) कोर्ट सं० 2, रामपुर।

उपस्थितः—अमित वीर सिंह (एच.जे.एस.)

UPRP010038342023

(1)दाण्डिक अपील सं०—37/2023
रजि०नं० 36/2023
गौतम गुप्ता पुत्र स्व० दिनेश गुप्ता, निवासी ग्राम धमौरा, थाना शहजादनगर, जिला रामपुर।
——————————————अपीलार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार———————————————————————प्रत्यर्थी/अभियोजन पक्ष।

UPRP010038332023

(2)दाण्डिक अपील सं०—38/2023
रजि०नं० 37/2023
श्रीमती राजबाला पत्नी श्री दिलीप सिंह, निवासी अजीतपुर, थाना सिविल लाइन्स, जिला रामपुर।
—————————————अपीलार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार————————————————————————प्रत्यर्थी/अभियोजन पक्ष।

निर्णय

1— दाण्डिक अपील संख्या—37/2023, अपीलार्थी/अभियुक्त गौतम गुप्ता की ओर से विद्वान विशेष न्यायाधीश(एम०पी०/एम०एल०ए०)/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर द्वारा फौजदारी वाद संख्या—114/2022, राज्य बनाम गौतम गुप्ता आदि, अंतर्गत धारा—171H, 188/34 भा०दं०सं०, मु०अ०सं० 110/2017, थाना—शहजादनगर, जिला रामपुर में पारित प्रश्नगत निर्णय व आदेश दिनांकित 15—04—2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा—171H/34 भा०दं०सं० में दोषी पाते हुये 500/—रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने हेतु आदेशित किया। धारा—188/34 भा०दं०सं० में दोषी पाते एक माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

2— दाण्डिक अपील संख्या—38/2023, अपीलार्थी/अभियुक्त श्रीमती राजबाला की

Digitally signed by Amit Veer Singh
Date: 2023.07.19 12:24:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

ओर से विद्वान विशेष न्यायाधीश(एम०पी०/एम०एल०ए०)/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर द्वारा फौजदारी वाद संख्या–114/2022, राज्य बनाम गौतम गुप्ता आदि, अंतर्गत धारा–171H, 188/34 भा०दं०सं०, मु०अ०सं० 110/2017, थाना–शहजादनगर, जिला रामपुर में पारित प्रश्नगत निर्णय व आदेश दिनांकित 15–04–2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा–171H/34 भा०दं०सं० में दोषी पाते हुये 500/–रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने हेतु आदेशित किया। धारा–188/34 भा०दं०सं० में दोषी पाते एक माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

3– चूंकि उक्त दोनो दाण्डिक अपीलें विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित एक ही निर्णय/दण्डादेश दिनांकित 15–04–2023 के विरूद्ध संस्थित की गयी है। अतः उक्त दोनों दाण्डिक अपीलों का निस्तारण एक साथ एक ही निर्णय से किया जा रहा है।

4– अपीलार्थी गौतम गुप्ता द्वारा दाण्डिक अपील संख्या–37/2023 इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत की गयी कि– विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय(एम.पी./एम.एल.ए.)/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15–04–2023 विधि विरूद्ध, विधि के मान्य सिद्धान्तो के विपरीत है एवं विधिक रूप से पोषणीय नही है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में अपीलार्थी को धारा–171H/34 भा०दं०सं० के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुये 500/–रूपये के अर्थदण्ड से एवं धारा–188/34 भा०दं०सं० के अंतर्गत एक माह के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री के सर्वथा विपरीत है व त्रुटिपूर्ण है। जिसे उलटवाने के लिए सारभूत व बाध्यकर कारणों का पर्याप्त न्यायिक आधार व औचित्य है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करते समय अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग व पत्रावली का सम्यक रूप से अध्ययन नही किया गया है। वादी एस.आई. जितेन्द्र कुमार वर्मा–राजकीय लोकसेवक की जुबानी सूचना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है। वादी–राजकीय लोकसेवक द्वारा लिखित तहरीर प्रस्तुत न करना अभियोजन कथानक में संदेह उत्पन्न करता है। अभियोजन साक्षीगण के बयान धारा–161 दं०प्रं० सं० व न्यायालय में सशपथ बयानों में घोर विरोधाभास है जो प्रकरण में घोर संदेह उत्पन्न करता है और विधि सम्मत संदेह का लाभ अपीलार्थी/अभियुक्त को मिलना चाहिए था। अपीलार्थी प्रस्तुत प्रकरण में किसी राजनैतिक पार्टी का सदस्य अथवा विधानसभा चुनाव में न तो प्रत्याशी था और न ही प्रतिनिधि था। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। समस्त साक्षी पुलिस कर्मचारी है, जिनके कथन विश्वसनीय नही है। अभियोजन पक्ष अपना केस साबित करने में विफल रहा है जिसे अवर न्यायालय द्वारा नजर अंदाज कर

नकार दिया गया है। अपीलार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नही रहा है। अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश दिनांकित 15–04–2023 निरस्त किये जाने के पर्याप्त न्यायिक आधार व औचित्य उपलब्ध है। उक्त के आधार पर प्रार्थना की गयी कि अपील स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश दिनांकित 15–04–2023 निरस्त करने का आदेश पारित किया जायें।

5– अपीलार्थी श्रीमती राजबाला द्वारा दाण्डिक अपील संख्या–38/2023 इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत की गयी कि–विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय (एम.पी./ एम.एल.ए.)/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15–04–2023 विधि विरूद्ध, विधि के मान्य सिद्धान्तो के विपरीत है एवं विधिक रूप से पोषणीय नही है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में अपीलार्थी को धारा –171H/34 भा०दं०सं० के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुये 500/–रूपये के अर्थदण्ड से एवं धारा–188/34 भा०दं०सं० के अंतर्गत एक माह के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री के सर्वथा विपरीत है व त्रुटिपूर्ण है। जिसे उलटवाने के लिए सारभूत व बाध्यकर कारणों का पर्याप्त न्यायिक आधार व औचित्य है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करते समय अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग व पत्रावली का सम्यक रूप से अध्ययन नही किया गया है। वादी एस.आई. जितेन्द्र कुमार वर्मा–राजकीय लोकसेवक की जुबानी सूचना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है। वादी –राजकीय लोकसेवक द्वारा लिखित तहरीर प्रस्तुत न करना अभियोजन कथानक में संदेह उत्पन्न करता है। अभियोजन साक्षीगण के बयान धारा–161 दं०प्रं० सं० व न्यायालय में सशपथ बयानों में घोर विरोधाभास है जो प्रकरण में घोर संदेह उत्पन्न करता है और विधि सम्मत संदेह का लाभ अपीलार्थी/अभियुक्त को मिलना चाहिए था। अपीलार्थी प्रस्तुत प्रकरण में किसी राजनैतिक पार्टी का सदस्य अथवा विधानसभा चुनाव में न तो प्रत्याशी था और न ही प्रतिनिधि था। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। समस्त साक्षी पुलिस कर्मचारी है, जिनके कथन विश्वसनीय नही है। अभियोजन पक्ष अपना केस साबित करने में विफल रहा है जिसे अवर न्यायालय द्वारा नजर अंदाज कर नकार दिया गया है। अपीलार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नही रहा है। अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश दिनांकित 15–04–2023 निरस्त किये जाने के पर्याप्त न्यायिक आधार व औचित्य उपलब्ध है। उक्त के आधार पर प्रार्थना की गयी कि अपील स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश दिनांकित 15–04–2023 निरस्त करने का आदेश पारित किया जायें।

6– उक्त दोनों दाण्डिक अपीलों से संबंधित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि–वादी उप निरीक्षक जितेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा जुबानी सूचना थाना शहजादनगर, जिला रामपुर पर

इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि–दिनांक 11.02.2017 को मैं उप निरीक्षक जितेन्द्र कुमार वर्मा मय एच०सी० 111 कावेन्द्र सिंह के चौकी धमौरा पर कार्य सरकार में मसरूक था कि समय करीब 10:15 बजे लाउड स्पीकर द्वारा चुनाव प्रचार की आवाज सुनाई दी। मैं उप निरीक्षक तुरंत मय हमराही एच०सी० 111 कावेन्द्र कुमार के मौके पर पहुंचा तो गौतम पुत्र दिनेश गुप्ता, निवासी ग्राम धमौरा, थाना शहजादनगर, रामपुर द्वारा अपने घर के सामने टीन सैड में सडक पुख्ता पर लाउड स्पीकर लगवाकर चुनाव प्रचार कराया जा रहा था। उनमें भाजपा प्रत्याशी श्रीमती राजबाला (विधानसभा–38 मिलक)भाजपा चुनाव प्रचार करते हुये सभा को सम्बोधित कर रही थी। मेरे द्वारा चुनाव व लाउड स्पीकर व जनसभा के संबंध में अनुमति मांगी गयी तो दिखाने में कासिर रहे तथा चुनाव प्रचार व लाउड स्पीकर व जनसभा के संबंध में किसी भी प्रकार की अनुमति या सक्षम अधिकारी का आदेश नहीं दिखा सके। अतः गौतम उपरोक्त व राजबाला (भाजपा प्रत्याशी–38 मिलक) उपरोक्त द्वारा बिना अनुमति के जनसभा करके चुनाव प्रचार कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा था। अतः उपरोक्त व्यक्तियों का यह कृत्य धारा –171(ज)/188 भा०द०सं० की हद को जाता है तथा विडियो ग्राफी भी करायी गयी। वादी की जुबानी सूचना के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–171(ज)/188 भा०द०सं० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

7– वादी द्वारा दी गयी उक्त जुबानी सूचना के आधार पर थाना शहजादनगर, जिला रामपुर पर अभियोग पंजीकृत हुआ और मामले की विवेचना की गयी। विवेचक द्वारा बाद विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण गौतम गुप्ता व श्रीमती राजबाला के विरूद्व धारा–171(H)/188 भारतीय दण्ड संहिता में विचारण हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप लगाये जाने हेतु उनके विद्वान अधिवक्ताओ को सुना गया। **तदोपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–171(H), 188/34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया और परीक्षण चाहा।** अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में 04 साक्षीगण, पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार वर्मा, पी०डब्लू० 2 कॉ० कावेन्द्र सिंह, पी०डब्लू० 3 कॉ० 1067 पुष्पेन्द्र कुमार एवं पी०डब्लू० 4 उप निरीक्षक जितेन्द्र कुमार को परीक्षित कराया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा–65(B)भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श क–1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2, जी०डी०कायमी मुकदमा प्रदर्श क–3, नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 एवं आरोप पत्र प्रदर्श क –5 प्रस्तुत किये गये। वस्तु प्रदर्श में घटना स्थल पर बनायी गयी सीडी/डीवीडी वस्तु प्रदर्श–1 प्रस्तुत की गयी। अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा–

313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुये कोई जनसभा आयोजित नही करना बताया। गवाहान द्वारा गलत गवाही देना व गलत प्रलेख साबित करना बताया तथा मुकदमा रंजिशन झूठा चलना बताया। अभियुक्तगण ने सफाई साक्ष्य देना स्वीकार किया तथा कुछ और कहने से इंकार किया। तदोपरांत दिनांक 15–03–2023 को अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सफाई साक्ष्य नहीं देने का पृष्ठांकन आदेश पत्र पर किया गया। जिस पर अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण का सफाई साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। तदोपरांत विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के तर्को को सुनने के उपरांत प्रश्नगत निर्णय व दण्डादेश पारित किया गया। जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी/अभियुक्त गौतम गुप्ता की ओर से दाण्डिक अपील सं० 37/2023 व अपीलार्थी/अभियुक्त श्रीमती राजबाला की ओर से दाण्डिक अपील सं० 38/2023 माननीय सत्र न्यायाधीश, रामपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो अंतरित होकर निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

8– अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

9– अपीलार्थीगण पर धारा–171H, 188 भा०दं०सं० सपठित धारा–34 भा०दं० सं० का आरोप है, जिसको अभियोजन को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना है।

10– अपीलार्थीगण की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में दस घण्टे की देरी है, जिसको अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नही किया गया है। मौके का कोई स्वतंत्र साक्षी भी अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नही किया गया है। कथित सीडी के सम्बन्ध में धारा–65B का प्रमाण पत्र विवेचना के दौरान विवेचक ने एकत्र नही किया है। कथित रूप से पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार वर्मा के द्वारा मोबाइल से जनसभा की रिकार्डिंग की गयी थी और उसके उपरांत कम्प्यूटर के माध्यम से सीडी बनवायी गयी थी और इस सीडी के सम्बन्ध में धारा–65B का प्रमाण पत्र पी०डब्लू० 1 द्वारा अपने बयान के दौरान दाखिल किया गया है। जबकि धारा–65B का प्रमाण पत्र वही व्यक्ति दे सकता है जिसने सीडी कम्प्यूटर के माध्यम से बनायी हो और जिसका कम्प्यूटर पर वैध नियन्त्रण हो। इसके अलावा धारा–65B के प्रमाण पत्र में जो तथ्य उल्लिखित होने चाहिये, ऐसा कोई तथ्य अंकित नही है। अतः कथित धारा–65B का प्रमाण पत्र व्यर्थ है और सीडी साक्ष्य में ग्राहय नही है। इसके अलावा मामला आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है किन्तु कोई आदर्श आचार संहिता दाखिल नही की गयी है और न ही ऐसा कोई प्रपत्र दाखिल किया गया है जिससे प्रतीत होता हो कि जिस समय की घटना बतायी जाती है उस समय आदर्श आचार संहिता लगी हुई हो।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर संलग्न फोटो प्रति कागज सं० 8 ख/16, 8 ख/17 पर संज्ञान लेकर आदेश पारित कर दिया गया। जबकि उक्त दस्तावेज फोटो प्रति होने के कारण एक व्यर्थ दस्तावेज है। इस प्रपत्र को फोटो प्रति होने के कारण अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदर्शित भी नही कराया गया है। विद्वान अवर न्यायालय का पूरा निर्णय आग्राहय साक्ष्य पर आधारित है। कथित सीडी की कोई विशेषज्ञ/वैज्ञानिक जॉच भी नही करायी गयी है। इसलिये यदि यह मान भी लिया जाये कि कथित सीडी किसी जनसभा की है तो भी अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित नही किया गया है कि यह वही प्रश्नगत सीडी है जिसके सम्बन्ध में मुकदमा है। अभियोजन पक्ष के गवाहान द्वारा लगातार अपने बयानो में सुधार किया गया है जिससे अभियोजन कथानक पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अपीलार्थी/अभियुक्त गौतम गुप्ता, जिस स्थल पर जनसभा हो रही थी, उसका मालिक नही है बल्कि उसका घर कुछ दूरी पर है। मौके पर कोई जनसभा आयोजित नही की गयी थी, न ही हुई थी।

11– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)द्वारा तर्क दिया गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय/आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी/अभियुक्त श्रीमती राजबाला के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुये जनसभा की गयी, जिसका संचालन अपीलार्थी/अभियुक्त गौतम गुप्ता कर रहे थे। जिससे इस बात की उपधारणा ली जायेगी कि जनसभा का सभी खर्च अपीलार्थी/अभियुक्त गौतम गुप्ता ने वहन किया था। अभियोजन के गवाहान ने अभियोजन कथानक की पुष्टि की है और अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है।

12– पत्रावली व विद्वान अवर न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय/आदेश का अवलोकन किया गया। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण गौतम गुप्ता एवं श्रीमती राजबाला को धारा–171H/34 भा०दं०सं० व धारा–188/34 भा०दं०सं० में दोषी पाते हुये दण्डित किया गया है। अवर न्यायालय द्वारा मुल्जिमान गौतम गुप्ता व श्रीमती राजबाला पर धारा–171H/34 भा०दं०सं० व धारा–188/34 भा०दं०सं० का आरोप विरचित किया गया। इन्हीं धाराओं में मुल्जिमान के विरूद्व आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था।

13– जहां तक धारा–188 भा०दं०सं० के अपराध का प्रश्न है, यह अपराध तब होगा जब लोकसेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की मुल्जिमान द्वारा अवज्ञा की गयी हो। प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण गौतम गुप्ता व श्रीमती राजबाला द्वारा बिना अनुमति के जनसभा की गयी और चुनाव प्रचार कर आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन किया गया। किन्तु उल्लेखनीय बात यह है कि कोई आदर्श

आचार संहिता जो कि प्रस्तुत मामले का आधार है, अभियोजन पक्ष द्वारा दाखिल नही की गयी, न ही विवेचक द्वारा दौरान विवेचना एकत्र की गयी। जिससे न्यायालय के संज्ञान में यह आता कि क्या वास्तव में जिस समय की घटना है, उस समय कोई आदर्श आचार संहिता लागू थी। इसके अलावा अवर न्यायालय द्वारा अपना आदेश एक फोटो कापी, दस्तावेज कागज सं० 8ख/16-8ख/17, जो धारा-144 दं०प्र०सं० के अंतर्गत कथित रूप से पारित हुआ है, पर संज्ञान लेकर प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया। अवर न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में यह निष्कर्ष दिया गया है कि -''धारा-81 भारतीय साक्ष्य अधिनियम-1872 के प्रभाव में उपरोक्त आदेश संख्या-1731/न्याय सहायक दिनांकित 04-01-2017 उपजिला अधिकारी प्रशासन, जिला रामपुर जो सी०डी० संलग्न है, जो कि धारा-58 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वयं में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना न्यायोचित है तथा उसे पृथक रूप से साबित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से मौजूदा प्रकरण में धारा-144 दं०प्र०सं० की उद-घोषणा की जानकारी की उपधारणा का पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है।''

इस प्रकार धारा-81 भारतीय साक्ष्य अधिनियम व धारा-58 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हवाला देकर अवर न्यायालय द्वारा उक्त फोटो प्रति को साक्ष्य में ग्राहय मान लिया।

14- धारा-81 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार-" राजपत्रों, समाचारपत्रों, पार्लियामेण्ट के प्राइवेट एक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा -न्यायालय हर ऐसे दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा, जिसका लंदन गजट या कोई शासकीय राजपत्र या ब्रिटिश क्राउन के किसी उपनिवेश, आश्रित देश या कब्जाधीन क्षेत्र का सरकारी राजपत्र होना या कोई समाचार-पत्र या होना, या यूनाइटेड किंगडम की पार्लमेट के प्राइवेट ऐक्ट की क्वीन्स प्रिंटर द्वारा मुद्रित प्रति होना तात्पर्यित है तथा हर ऐसी दस्तावेज का , जिसका ऐसी दस्तावेज होना तात्पर्यित है, जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निदिष्ट है, यदि ऐसी दस्तावेज सारतः उस प्ररूप में रखी गयी हो, जो विधि द्वारा अपेक्षित है, और उचित अभिरक्षा में से पेश की गयी हो, असली होना उपधारित करेगा।"

इस प्रकार धारा-81 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार निम्न दस्तावेजो के सही होने के विषय में न्यायालय उपधारणा कर सकता है-

1-गजट

2-राजपत्र

3-समाचार पत्र व पत्रिका

4-हर ऐसी दस्तावेज का, जिसका ऐसी दस्तावेज होना तात्पर्यित है, जिसका

किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निर्दिष्ट है, यदि ऐसी दस्तावेज सारतः उस प्ररूप में रखी गई हो, जो विधि द्वारा अपेक्षित है, और उचित अभिरक्षा में से पेश की गई हो, असली होना उपधारित करेगा।

15– किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में जो फोटो प्रति दस्तावेज है व न तो कोई गजट है, न राजपत्र है, न समाचार पत्र अथवा पत्रिका है, न संसद का प्राइवेट एक्ट है और न ही कोई ऐसा दस्तावेज है जिसको किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना विधि द्वारा निर्दिष्ट है और सारतः उस प्रारूप में रखी गयी हो जो विधि द्वारा उपेक्षित हो और न ही ऐसी किसी वैध अभिरक्षा से न्यायालय में पेश किया गया है। धारा–81 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की परिधि के अंतर्गत उक्त फोटो प्रति दस्तावेज को ग्राहय साक्ष्य मानने का अवर न्यायालय का निष्कर्ष अवैधानिक है। जहां तक धारा–58 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रश्न है, धारा–58 के अनुसार स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नही है और बचावपक्ष द्वारा कागज सं० 8 ख/16, 8 ख/17 को स्वीकार नही किया है, इस प्रकार अवर न्यायालय द्वारा कागज सं० 8 ख/16, 8 ख/17 का संज्ञान लेकर उसको धारा–58 के अंतर्गत साक्ष्य में गलत रूप से ग्राहय मानकर अवैधानिक निष्कर्ष दिया गया है।

16– उल्लेखनीय बात यह है कि कागज सं० 8 ख/16 व 8 ख/17 जिस पर अवर न्यायालय द्वारा अपना निर्णय आधारित किया है, इसके सम्बन्ध में कोई प्रश्न धारा–313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत मुल्जिमान से नही किया गया है जिससे मुल्जिमान के पास इस सम्बन्ध में जबाव/स्पष्टीकरण देने का कोई अवसर भी नही था। **अशरफ अली बनाम स्टेट आफ आसाम, (2008)16 एस.सी.सी. 328** के अनुसार यह न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वह मुल्जिम से उसके खिलाफ जो साक्ष्य से परिस्थितियां निकलकर आयी है, उसके सम्बन्ध में उससे प्रश्न करे और ऐसा न करना एक गंभीर अनियमितता है जिसके कारण विचारण पर आघात लगता है। **एस–हरनाम सिंह बनाम स्टेट(दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन)(1976)2 एस.सी.सी. 819** में भी यही विधि व्यवस्था दी गयी है। इस प्रकार केवल इसी कारण से प्रश्नगत दस्तावेज कागज सं० 8 ख/16, 8 ख/17 के विषय में मुल्जिमान से कोई स्पष्टीकरण धारा–313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत नही लिया गया, इस वजह से भी इन दस्तावेजों का कोई संज्ञान न्यायालय नही ले सकता है और इन दस्तावेजों के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण धारा –313 दं०प्र०सं० में न लेकर अवर न्यायालय ने अवैधानिकता की है।

17– दस्तावेज कागज संख्या–8 ख/16 व 8 ख/17 एक फोटो प्रति दस्तावेज है, जिसे पी०डब्लू० 4 विवेचक उप निरीक्षक जितेन्द्र कुमार ने अवर न्यायालय में पेश किया है। इस गवाह ने अपनी मुख्यपृच्छा में यह बयान दिया है कि–''पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या–8 ख/16 व 8 ख/17 गवाह को दिखाया गया। जिसको देखकर गवाह ने

कहा कि यह वही आदेश अर्न्तगत धारा–144 सी०आर०पी०सी० है। जिसके द्वारा जनपद रामपुर की सीमाओं को सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना कोई गोष्ठी, सभा अथवा मीटिंग का आयोजन नहीं किया जायेगा। उपरोक्त आदेश ए०डी०एम० प्रशासन, रामपुर द्वारा दिया गया था। जिसकी नकल मेरे द्वारा सी०डी० में की गयी थी।'' इस गवाह ने जिरह में इस दस्तावेज के विषय में यह बताया है कि –''पेपर संख्या–8ख/16 व 8ख/17 फोटो काफी है और यह किसी भी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गयी है। यह मेरी विवेचना का भाग है। यह थाने पर डाक द्वारा फाटो कापी प्राप्त होती है। यह प्रपत्र मूल रूप मे ए०डी०एम० के यहां से जारी होता है एवं मूल प्रपत्र वही आफिस में रहता है।"

18– कागज संख्या–8ख/16 व 8ख/17 फोटो प्रति है, जिसको अभियोजन पक्ष द्वारा साबित कराकर प्रदर्शित भी नही करवाया गया है और मात्र फोटो कापी होने के कारण यह साक्ष्य में ग्राहय नही है। यह कागज साक्ष्य में तभी ग्राहय होता जबकि ए०डी०एम०, रामपुर के कार्यालय से अभियोजन पक्ष इसके मूल को तलब करवाता और उससे उसकी फोटो प्रति की तुलना करके उसको साबित करवाता। किन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कुछ नही करवाया गया।

19– धारा–63(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार द्वितीयिक साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं– मूल से ऐसी यांत्रिक प्रंक्रियाओ द्वारा, जो प्रंक्रियाए स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं, बनायी गयी प्रतियां तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियॉ।

20– किन्तु मूल को तलब करवाकर अभियोजन पक्ष द्वारा इस दस्तावेज कागज सं० 8ख/16, 8ख/17 को साबित नही करवाया गया है और यह मात्र फोटो प्रति होने के कारण साक्ष्य में ग्राहय नही है और इस दस्तावेज को अवैधानिक रूप से साक्ष्य में ग्राहय मानकर अवर न्यायालय द्वारा गंभीर अवैधानिकता की गयी है।

21– इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई भी वैधानिक दस्तावेज दाखिल नही किया गया है जिससे न्यायालय के समक्ष प्रकट व साबित हो कि जिस दिनांक की व जिस स्थान घटना है, वहां पर वाकई में कोई आदर्श आचार संहिता लगी हुई हो। जिससे स्पष्ट हो कि कथित रूप से बिना अनुमति के जनसभा कर अभियुक्तगण द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। ऐसी स्थिति में धारा–188 भा०दं०सं०में दोषसिद्धि का गलत निष्कर्ष निकालकर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अवैधानिकता की गयी है।

22– जहां तक धारा–171H भा०दं०सं० के आरोप का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में धारा–171H भा०दं०सं० में निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय को अपराध माना गया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा केवल यह मानकर कि मुल्जिम गौतम गुप्ता द्वारा जनसभा का

आयोजन किया गया था और इस कारण से अवर न्यायालय द्वारा धारा–106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हवाला देते हुये इस बात को साबित करने का भार मुल्जिम गौतम गुप्ता पर डाल दिया कि वह साबित करे कि उसके द्वारा खर्चा नही किया गया। जबकि आपराधिक न्यायशास्त्र में किसी अपराध को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है और जिस तरह की उपधारणा अवर न्यायालय द्वारा की गयी है। उस तरह की उपधारणा के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुछ भी नही है। जहॉ तक धारा–106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रश्न है। धारा–106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम तब प्रकाश में आती है जब अभियोजन पक्ष द्वारा अपने स्तर से अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया गया हो और तब उसका स्पष्टीकरण धारा–106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मुल्जिम दे सकता है। परन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा जो अपराध के तत्व साबित करने थे, उनको साबित करने का भार विधि की गलत विवेचना कर अवर न्यायालय द्वारा मुल्जिम पर डाल दिया गया, जो अवैधानिक निष्कर्ष है।

23– इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष द्वारा जनसभा की सीडी दाखिल की गयी है। सीडी इलैक्ट्रानिक दस्तावेज है। इस सम्बन्ध में धारा–65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम व माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजीरें– **अनवर पी.वी. बनाम पी.के.बशीर (2014)10 एस.सी.सी.** 473 एवं **अर्जुन पंडित खोटकर बनाम कैलाश कुशन राव गोरन्तयाल (2020)7 एस०सी०सी०** 1 सुसंगत है।

धारा–65B इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राहयता–(1)इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी, इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट कोई सूचना, जो कागज पर मुद्रित है और कम्प्यूटर द्वारा उत्पादित प्रकाशीय या चुम्बकीय माध्यम में भण्डारित, अभिलिखित या नकल की गयी है(जिसे एतस्मिनपश्चात कम्प्यूटर उत्पादन के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा), दस्तावेज भी होना मानी जाएगी, यदि इस धारा में वर्णित शर्तों का समाधान प्रश्नगत सूचना और कम्प्यूटर के सम्बन्ध में किया किया जाता है और किसी कार्यवाही में, किसी और सबूत या मूल को पेश किए बिना, मूल की किसी अन्तर्वस्तु या उसमें अभिकथित किसी तथ्य के, जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राहय होगा, साक्ष्य के रूप में ग्राहय होगी।

(2)कम्प्यूटर उत्पादन के सम्बन्ध में उपधारा–(1) में निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित होगी, अर्थात–

(क)सूचना के अन्तर्विष्ट करने वाले कम्प्यूटर इत्यादि उत्पाद का उत्पादन कम्प्यूटर द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया था, जिसमें कम्प्यूटर का नियमित प्रयोग कम्प्यूटर के प्रयोग पर वैध नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस अवधि में नियमित रूप से किए गए किसी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए सूचना

को भण्डारित या संसाधित करने के लिए किया गया था;

(ख)उक्त अवधि के दौरान, इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट प्रकार की सूचना या इस प्रकार की सूचना, जिससे इस प्रकार अन्तर्विष्ट सूचना प्राप्त की जाती है, नियमित रूप से उक्त क्रियाकलाप के सामान्य अनुक्रम में कम्प्यूटर में भरी गयी थी;

(ग)उक्त अवधि के तात्विक भाग के दौरान कम्प्यूटर समुचित ढंग से संचालित हो रहा था, या यदि संचालित नही हो रहा था, तब किसी ऐसी अवधि के सम्बन्ध में जिसमें वह समुचित रूप से संचालित नही हो रहा था या अवधि के उस भाग के दौरान संचालन से बाहर था, ऐसा नही था, जो इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख या उसकी अन्तर्वस्तुओं की शुद्धता को प्रभावित करे; और

(घ)इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट सूचना उक्त क्रियाकलाप के सामान्य अनुक्रम में कम्प्यूटर में भरी गयी ऐसी सूचना से पुनः उत्पादित की जाती है या व्युत्पन्न होती है।

(3)जहां किसी अवधि में, किसी क्रियाकलाप के, जो नियमित रूप से उस अवधि में की गयी है, जैसा कि उपधारा–(2)के खण्ड (क)में वर्णित है, प्रयोजन के लिए सूचना को भण्डारित या संसाधित करने का कार्य नियमित रूप से कम्प्यूटर द्वारा किया गया था, चाहे–

(क)उस अवधि के दौरान संचालित कम्प्यूटरों के संयोजन द्वारा; या

(ख)उस अवधि के दौरान उत्तरोत्तर संचालित विभिन्न कम्प्यूटरो द्वारा; या

(ग)उस अवधि के दौरान उत्तरोत्तर संचालित कम्प्यूटरों के विभिन्न संयोजन द्वारा या;

(घ)किसी अन्य ढंग में, जिसमें, उक्त अवधि के दौरान, एक या अधिक कम्प्यूटरों का उत्तरवर्ती संचालन, चाहे जिस क्रम में हो, और एक या अधिक कम्प्यूटरों का संयोजन शामिल हो, किया गया हो,

वहां उस अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त सभी कम्प्यूटरों को इस धारा के प्रयोजन के लिए एक कम्प्यूटर गठित करने वाला माना जाएगा और इस धारा में कम्प्यूटर के प्रति निर्देश का तदनुसार अर्थान्वियन किया जाएगा।

(4)किसी कार्यवाही में, जहां इस धारा के परिणामस्वरूप् साक्ष्य में कथन देने की वॉछा की जाती है, निम्नलिखित चीजों में से किसी को करने वाला अर्थात–

(क) इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख को, जिसमें कथन अन्तर्विष्ट है और उस ढंग का विवरण है, जिसमें इसका उत्पादन किया गया था, परिलक्षित करते हुए,

(ख)किसी युक्ति को, जो उस इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख के उत्पादन में अन्तर्ग्रस्त

है, ऐसी विशिष्टियों को देते हुए, जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हो कि इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख का उत्पादन कम्प्यूटर द्वारा किया गया था;

(ग)मामलो में से किसी पर, जिससे उपधारा-(2) में वर्णित शर्ते सम्बन्धित है, विचार करते हुए, प्रमाण पत्र को, जो सुसंगत युक्ति के संचालन या सुसंगत क्रियाकलापों के प्रबन्धन(जो भी समुचित हो) के सम्बन्ध में उत्तरदायी पदीय स्थिति ग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना तात्पर्यित है, किसी मामले को जो प्रमाणपत्र में अभिकथित है, साक्ष्य माना जाएगा और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, यह उसे अभिकथित करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास में अभिकथित किये जाने वाले मामले के लिए पर्याप्त होगा।

(5)इस धारा के प्रयोजन के लिए-

(क)सूचना कम्प्यूटर में प्रदान की गयी मानी जाएगी, यदि उसे किसी समुचित रूप में उसको प्रदान की जाती है और चाहे इसे सीधे या (मानवीय हस्तक्षेप सहित या के बिना) किसी समुचित उपकरण के द्वारा प्रदान किया जाता है;

(ख)चाहे किसी पदधारी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के अनुक्रम में, सूचना उन क्रियाकलापों के अनुक्रम के अतिरिक्त अन्यस्था संचालित कम्प्यूटर द्वारा उन क्रियाकलापो के प्रयोजन के लिए भण्डारित या संसाधित किये जाने की की जाती है, तब वह सूचना, यदि सम्यक रूप से उस कम्प्यूटर को प्रदान की जाती है, उन क्रियाकलापो के अनुक्रम में उनको प्रदान की गयी मानी जाएगी;

(ग)कम्प्यूटर उत्पाद को कम्प्यूटर द्वारा उत्पादित किया गया माना जाएगा, चाहे वह इसके द्वारा सीधे उत्पादित किया गया हो या (मानवीय हस्तक्षेप सहित या के बिना) किसी उपयुक्त उपकरण द्वारा उत्पादित किया गया हो।

24- विधि व्यवस्था **अनवर पी.वी. बनाम पी.के.बशीर (2014)10 एस.सी.सी. 473 (सिविल अपील सं० 4226/2012)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि-

13.Any documentary evidence by way of an electronic record under the Evidence Act, in view of Sections 59 and 65A, can be proved only in accordance with the procedure prescribed under Section 65B. Section 65B deals with the admissibility of the electronic record. The purpose of these provisions is to sanctify secondary evidence in electronic form, generated by a computer. It may be noted that the Section starts with a non obstante clause. Thus, notwithstanding anything contained in the Evidence Act, any information contained in an electronic record which is printed on a paper, stored, recorded or copied in optical or magnetic media produced by a computer shall be deemed to be a document only if the conditions mentioned under sub-Section

(2) are satisfied, without further proof or production of the original. The very admissibility of such a document, i.e., electronic record 11 Page 12 which is called as computer output, depends on the satisfaction of the four conditions under Section 65B(2). Following are the specified conditions under Section 65B(2) of the Evidence Act:

(i) The electronic record containing the information should have been produced by the computer during the period over which the same was regularly used to store or process information for the purpose of any activity regularly carried on over that period by the person having lawful control over the use of that computer;

(ii) The information of the kind contained in electronic record or of the kind from which the information is derived was regularly fed into the computer in the ordinary course of the said activity;

(iii) During the material part of the said period, the computer was operating properly and that even if it was not operating properly for some time, the break or breaks had not affected either the record or the accuracy of its contents; and

(iv) The information contained in the record should be a reproduction or derivation from the information fed into the computer in the ordinary course of the said activity.

14. Under Section 65B(4) of the Evidence Act, if it is desired to give a statement in any proceedings pertaining to an electronic record, it is permissible provided the following conditions are satisfied:

(a) There must be a certificate which identifies the electronic record containing the statement;

(b) The certificate must describe the manner in which the electronic record was produced;

(c) The certificate must furnish the particulars of the device involved in the production of that record;

(d) The certificate must deal with the applicable conditions mentioned under Section 65B(2) of the Evidence Act; and

(e) The certificate must be signed by a person occupying a responsible official position in relation to the operation of the relevant device.

15. It is further clarified that the person need only to state in the certificate that the same is to the best of his knowledge and belief. Most importantly, such a certificate must accompany the electronic record like computer printout, Compact Disc (CD), Video Compact Disc (VCD), pen drive, etc., pertaining to which a statement is sought to be given in evidence, when the same is produced in evidence. All these safeguards are taken to ensure the source and authenticity, which are the two hallmarks pertaining to electronic record sought to be used as evidence.

Electronic records being more susceptible to tampering, alteration, transposition, excision, etc. without such safeguards, the whole trial based on proof of electronic records can lead to travesty of justice.

16. Only if the electronic record is duly produced in terms of Section 65B of the Evidence Act, the question would arise as to the genuineness thereof and in that situation, resort can be made to Section 45A — opinion of examiner of electronic evidence

17. The Evidence Act does not contemplate or permit the proof of an electronic record by oral evidence if requirements under Section 65B of the Evidence Act are not complied with, as the law now stands in India.

18. It is relevant to note that Section 69 of the Police and Criminal Evidence Act, 1984 (PACE) dealing with evidence on computer records in the United Kingdom was repealed by Section 60 of the Youth Justice and Criminal Evidence Act, 1999. Computer evidence hence must follow the common law rule, where a presumption exists that the computer producing theevidential output was recording properly at the material time. The presumption can be rebutted if evidence to the contrary is adduced. In the United States of America, under Federal Rule of Evidence, reliability of records normally go to the weight of evidence and not to admissibility.

19. Proof of electronic record is a special provision introduced by the IT Act amending various provisions under the Evidence Act. The very caption of Section 65A of the Evidence Act, read with Sections 59 and 65B is sufficient to hold that the special provisions on evidence relating to electronic record shall be governed by the procedure prescribed under Section 65B of the Evidence Act. That is a complete code in itself. Being a special law, the general law under Sections 63 and 65 has to yield.

25– विधि व्यवस्था **अर्जुन पंडित खोटकर बनाम कैलाश कुशन राव गोरन्तयाल (2020)7 एस०सी०सी० 1(सिविल अपील सं० 20825–20826/2017)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि–

30. Coming back to Section 65B of the Indian Evidence Act, subsection (1) needs to be analysed. **The sub-section begins with a nonobstante clause,** and then goes on to mention information contained in an electronic record produced by a computer, which is, by a deeming fiction, then made a "document". This deeming fiction only takes effect if the further conditions mentioned in the Section are satisfied in relation to both the information and the computer in question; and if such conditions are met, the "document" shall then be admissible in any proceedings. The words "...without further proof or production of the original..." make it clear that once the deeming fiction is given effect by the fulfilment of the conditions mentioned in the Section, the "deemed

document" now becomes admissible in evidence without further proof or production of the original as evidence of any contents of the original, or of any fact stated therein of which direct evidence would be admissible.

31. The non-obstante clause in sub-section (1) makes it clear that when it comes to information contained in an electronic record, admissibility and proof thereof must follow the drill of Section 65B, which is a special provision in this behalf - Sections 62 to 65 being irrelevant for this purpose. **However, Section 65B(1) clearly differentiates between the "original" document - which would be the original "electronic record" contained in the "computer" in which the original information is first stored — and the computer output containing such information, which then may be treated as evidence of the contents of the "original" document.** All this necessarily shows that Section 65B differentiates between the original information contained in the "computer" itself and copies made therefrom — the former being primary evidence, and the latter being secondary evidence.

32. Quite obviously, the requisite certificate in sub-section (4) is unnecessary if the original document itself is produced. This can be done by the owner of a laptop computer, a computer tablet or even a mobile phone, by stepping into the witness box and proving that the concerned device, on which the original information is first stored, is owned and/or operated by him. In cases where "the computer", as defined, happens to be a part of a "computer system" or "computer network" (as defined in the Information Technology Act, 2000) and it becomes impossible to physically bring such network or system to the Court, then the only means of proving information contained in such electronic record can be in accordance with Section 65B(1), together with the requisite certificate under Section 65B(4). This being the case, it is necessary to clarify what is contained in the last sentence in paragraph 24 of Anvar P.V. (supra) which reads as "...if an electronic record as such is used as primary evidence under Section 62 of the Evidence Act...". This may more appropriately be read without the words "under Section 62 of the Evidence Act,...". With this minor clarification, the law stated in paragraph 24 of Anvar P.V. (supra) does not need to be revisited.

उपरोक्त नजीर में आगे यह भी कहा गया है कि-

50. We may hasten to add that Section 65B does not speak of the **stage** at which such certificate must be furnished to the Court. In Anvar P.V. (supra), this Court did observe that such certificate must accompany the electronic record when the same is produced in evidence. We may only add that this is so in cases where such certificate could be procured by the person seeking to rely upon an electronic record. However, in cases where either a defective certificate is given, or in

cases where such certificate has been demanded and is not given by the concerned person, the Judge conducting the trial must space summon the person/persons referred to in Section 65B(4) of the Evidence Act, and require that such certificate be given by such person/persons. This, the trial Judge ought to do when the electronic record is produced in evidence before him without the requisite certificate in the circumstances aforementioned. This is, of course, subject to discretion being exercised in civil cases in accordance with law, and in accordance with the requirements of justice on the facts of each case. When it comes to criminal trials, it is important to keep in mind the general principle that the accused must be supplied all documents that the prosecution seeks to rely upon before commencement of the trial, under the relevant sections of the CrPC.

51. In a recent judgment, a Division Bench of this Court in State of Karnataka v. M.R. Hiremath (2019) 7 SCC 515, after referring to Anvar P.V. (supra) held: "16. The same view has been reiterated by a twoJudge Bench of this Court in Union of India v. Ravindra V. Desai [(2018) 16 SCC 273]. The Court emphasised that non-production of a certificate under Section 65-B on an earlier occasion is a curable defect. The Court relied upon the earlier decision in Sonu v. State of Haryana [(2017) 8 SCC 570], in which it was held: "32. ... The crucial test, as affirmed by this Court, is whether the defect could have been cured at the stage of marking the document. Applying this test to the present case, if an objection was taken to the CDRs being marked without a certificate, the court could have given the prosecution an opportunity to rectify the deficiency." 17. Having regard to the above principle of law, the High Court erred in coming to the conclusion that the failure to produce a certificate under Section 65-B(4) of the Evidence Act at the stage when the charge-sheet was filed was fatal to the prosecution. The need for production of such a certificate would arise when the electronic record is sought to be produced in evidence at the trial. It is at that stage that the necessity of the production of the certificate would arise."

52. It is pertinent to recollect that the stage of admitting documentary evidence in a criminal trial is the filing of the charge-sheet. When a criminal court summons the accused to stand trial, copies of all documents which are entered in the charge-sheet/final report have to be given to the accused. Section 207 of the CrPC, which reads as follows, is mandatory 6 . Therefore, the electronic evidence, i.e. the computer output, has to be furnished at the latest before the trial begins. The reason is not far to seek; this gives the accused a fair chance to prepare and defend the charges levelled against him during the trial. The general principle in criminal proceedings therefore, is to supply to

the accused all documents that the prosecution seeks to rely upon before the commencement of the trial. The requirement of such full disclosure is an extremely valuable right and an essential feature of the right to a fair trial as it enables the accused to prepare for the trial before its commencement. 6 "Section 207. Supply to the accused of copy of police report and other documents.– In any case where the proceeding has been instituted on a police report, the Magistrate shall without delay furnish to the accused, free of costs, a copy of each of the following:– (i) the police report; (ii) the first information report recorded under section 154; (iii) the statements recorded under sub-section (3) of section 161 of all persons whom the prosecution proposes to examine as its witnesses, excluding therefrom any part in regard to which a request for such exclusion has been made by the police officer under sub-section (6) of section 173; (iv) the confessions and statements, if any, recorded under section 164; (v) any other document or relevant extract thereof forwarded to the Magistrate with the police report under sub-section (5) of section 173: Provided that the Magistrate may, after perusing any such part of a statement as is referred to in clause (iii) and considering the reasons given by the police officer for the request, direct that a copy of that part of the statement or of such portion thereof as the Magistrate thinks proper, shall be furnished to theaccused: Provided further that if the Magistrate is satisfied that any document referred to in clause (v) is voluminous, he shall, instead of furnishing the accused with a copy thereof, direct that he will only be allowed to inspect it either personally or through pleader in Court."

53. In a criminal trial, it is assumed that the investigation is completed and the prosecution has, as such, concretised its case against an accused before commencement of the trial. It is further settled law that the prosecution ought not to be allowed to fill up any lacunae during a trial. As recognised by this Court in Central Bureau of Investigation v. R.S. Pai (2002) 5 SCC 82, the only exception to this general rule is if the prosecution had 'mistakenly' not filed a document, the said document can be allowed to be placed on record. The Court held as follows: "7. From the aforesaid sub-sections, it is apparent that normally, the investigating officer is required to produce all the relevant documents at the time of submitting the charge-sheet. At the same time, as there is no specific prohibition, it cannot be held that the additional documents cannot be produced subsequently. If some mistake is committed in not producing the relevant documents at the time of submitting the report or the charge-sheet, it is always open to the investigating officer to produce the same with the permission of the court."

54. Therefore, in terms of general procedure, the prosecution is obligated to supply all documents upon which reliance may be placed to an accused before commencement of the trial. Thus, the exercise of power by the courts in criminal trials in permitting evidence to be filed at a later stage should not result in serious or irreversible prejudice to the accused. A balancing exercise in respect of the rights of parties has to be carried out by the court, in examining any application by the prosecution under Sections 91 or 311 of the CrPC or Section 165 of the Evidence Act. Depending on the facts of each case, and the Court exercising discretion after seeing that the accused is not prejudiced by want of a fair trial, the Court may in appropriate cases allow the prosecution to produce such certificate at a later point in time. If it is the accused who desires to produce the requisite certificate as part of his defence, this again will depend upon the justice of the case – discretion to be exercised by the Court in accordance with law.

55. The High Court of Rajasthan in Paras Jain v. State of Rajasthan 2015 SCC OnLine Raj 8331, decided a preliminary objection that was raised on the applicability of Section 65B to the facts of the case. The preliminary objection raised was framed as follows: "3. (i) Whether transcriptions of conversations and for that matter CDs of the same filed alongwith the charge–sheet are not admissible in evidence even at this stage of the proceedings as certificate as required u/Sec. 65–B of the Evidence Act was not obtained at the time of procurement of said CDs from the concerned service provider and it was not produced alongwith charge–sheet in the prescribed form and such certificate cannot be filed subsequently." 6 After referring to Anvar P.V. (supra), the High Court held:

"15. Although, it has been observed by Hon'ble Supreme Court that the requisite certificate must accompany the electronic record pertaining to which a statement is sought to be given in evidence when the same is produced in evidence, but in my view it does not mean that it must be produced alongwith the charge–sheet and if it is not produced alongwith the charge–sheet, doors of the Court are completely shut and it cannot be produced subsequently in any circumstance. Section 65–B of the Evidence Act deals with admissibility of secondary evidence in the form of electronic record and the procedure to be followed and the requirements be fulfilled before such an evidence can be held to be admissible in evidence and not with the stage at which such a certificate is to be produced before the Court. One of the principal issues arising for consideration in the above case before Hon'ble Court was the nature and manner of admission of electronic records.

16.From the facts of the above case it is revealed that the election

of the respondent to the legislative assembly of the State of Kerala was challenged by the appellant–Shri Anwar P.V. by way of an electionpetition before the High Court of Kerala and it was dismissed vide order dated 16.11.2011 by the High Court and that order was challenged by the appellant before Hon'ble Supreme Court. It appears that the election was challenged on the ground of corrupt practices committed by the respondent and in support thereof some CDs were produced alongwith the election petition, but even during the course of trial certificate as required under Section 65–B of the Evidence Act was not produced and the question of admissibility of the CDs as secondary evidence in the form of electronic record in absence of requisite certificate was considered and it was held that such electronic record is not admissible in evidence in absence of the certificate. It is clear from the facts of the case that the question of stage at which such electronic record is to be produced was not before the Hon'ble Court.

17. It is to be noted that it has been clarified by Hon'ble Court that observations made by it are in respect of secondary evidence of electronic record with reference to Sections 59, 65–A and 65–B of the Evidence Act and if an electronic record as such is used as primary evidence under Section 62 of the Evidence Act, the same is admissible in evidence without compliance with the conditions in Section 65–B of the Evidence Act.

18. To consider the issue raised on behalf of the petitioners in a proper manner, I pose a question to me whether an evidence and more particularly evidence in the form of a document not produced alongwith the chargesheet cannot be produced subsequently in any circumstances. My answer to the question is in negative and in my opinion such evidence can be produced subsequently also as it is well settled legal position that the goal of a criminal trial is to discover the truth and to achieve that goal, the best possible evidence is to be brought on record.

19. Relevant portion of sub–sec. (1) of Sec. 91 Cr.P.C. provides that whenever any Court considers that the production of any document is necessary or desirable for the purposes of any trial under the Code by or before such Court, such Court may issue a summons to the person in whose possession or power such document is believed to be, requiring him to attend and produce it or to produce it, at the time and place stated in the summons. Thus, a wide discretion has been conferred on the Court enabling it during the course of trial to issue summons to a person in whose possession or power a document is believed to be requiring him to produce before it, if the Court considers that the production of such document is necessary or desirable for the purposes of such trial. Such power can be exercised by the Court at any stage of

the proceedings before judgment is delivered and the Court must exercise the power if the production of such document is necessary or desirable for the proper decision in the case. It cannot be disputed that such summons can also be issued to the complainant/ informer/victim of the case on whose instance the FIR was registered. In my considered view when under this provision Court has been empowered to issue summons for the producment of document, there can be no bar for the Court to permit a document to be taken on record if it is already before it and the Court finds that it is necessary for the proper disposal of the case irrespective of the fact that it was not filed along with the charge-sheet. I am of the further view that it is the duty of the Court to take all steps necessary for the production of such a document before it.

20. As per Sec. 311 Cr.P.C., any Court may, at any stage of any trial under the Code, summon any person as a witness, or examine any person in attendance, though not summoned as a witness, or recall or re-examine any person already examined; and the Court shall summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it to be essential to the just decision of the case. Under this provision also wide discretion has been conferred upon the Court to exercise its power and paramount consideration is just decision of the case. In my opinion under this provision it is permissible for the Court even to order production of a document before it if it is essential for the just decision of the case.

21. As per Section 173(8) Cr.P.C. carrying out a further investigation and collection of additional evidence even after filing of charge-sheet is a statutory right of the police and for that priorpermission of the Magistrate is not required. If during the course of such further investigation additional evidence, either oral or documentary, is collected by the Police, the same can be produced before the Court in the form of supplementary charge-sheet. The prime consideration for further investigation and collection of additional evidence is to arrive at the truth and to do real and substantial justice. The material collected during further investigation cannot be rejected only because it has been filed at the stage of the trial.

22. As per Section 231 Cr.P.C., the prosecution is entitled to produce any person as a witness even though such person is not named in the charge-sheet.

23. When legal position is that additional evidence, oral or documentary, can be produced during the course of trial if in the opinion of the Court production of it is essential for the proper disposal of the case, how it can be held that the certificate as required under Section 65-B of the Evidence Act cannot be produced subsequently in any

circumstances if the same was not procured alongwith the electronic record and not produced in the Court with the charge–sheet. In my opinion it is only an irregularity not going to the root of the matter and is curable. It is also pertinent to note that certificate was produced alongwith the charge– sheet but it was not in a proper form but during the course of hearing of these petitioners, it has been produced on the prescribed form."

56. In Kundan Singh (supra), a Division Bench of the Delhi High Court held: "50. Anwar P.V. (supra) partly overruled the earlier decision of the Supreme Court on the procedure to prove electronic record(s) in Navjot Sandhu (supra), holding that Section 65B is a specific provision relating to the admissibility of electronic record(s) and, therefore, production of a certificate under Section 65B(4) is mandatory. Anwar P.V. (supra) does not state or hold that the said certificate cannot be produced in exercise of powers of the trial court under Section 311 Cr.P.C or, at the appellate stage under Section 391 Cr.P.C. Evidence Act is a procedural law and in view of the pronouncement in Anwar P.V. (supra) partly overruling Navjot Sandhu (supra), the prosecution may be entitled to invoke the aforementioned provisions, when justified and required. Of course, it is open to the court/presiding officer at that time to ascertain and verify whether the responsible officer could issue the said certificate and meet the requirements of Section 65B."

57. Subject to the caveat laid down in paragraphs 50 and 54 above, the law laid down by these two High Courts has our concurrence. So long as the hearing in a trial is not yet over, the requisite certificate can be directed to be produced by the learned Judge at any stage, so that information contained in electronic record form can then be admitted, and relied upon in evidence.

58. It may also be seen that the person who gives this certificate can be anyone out of several persons who occupy a 'responsible official position' in relation to the operation of the relevant device, as also the person who may otherwise be in the 'management of relevant activities' spoken of in Sub–section (4) of Section 65B. Considering that such certificate may also be given long after the electronic record has actually been produced by the computer, Section 65B(4) makes it clear that it is sufficient that such person gives the requisite certificate to the "best of his knowledge and belief" (Obviously, the word "and" between knowledge and belief in Section 65B(4) must be read as "or", as a person cannot testify to the best of his knowledge and belief at the same time).

59. We may reiterate, therefore, that the certificate required under Section 65B(4) is a condition precedent to the admissibility of

evidence by way of electronic record, as correctly held in Anvar P.V. (supra), and incorrectly "clarified" in Shafhi Mohammed (supra). Oral evidence in the place of such certificate cannot possibly suffice as Section 65B(4) is a mandatory requirement of the law. Indeed, thehallowed principle in Taylor v. Taylor (1876) 1 Ch.D 426, which has been followed in a number of the judgments of this Court, can also be applied. Section 65B(4) of the Evidence Act clearly states that secondary evidence is admissible only if lead in the manner stated and not otherwise. To hold otherwise would render Section 65B(4) otiose.

26– धारा–65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम और उपरोक्त दोनों विधि व्यवस्थाओं से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राहयता के विषय में धारा–65B का अनुपालन साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते भी करना होगा। इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख का द्वितीयक साक्ष्य बिना 65B के प्रार्थना पत्र के साक्ष्य में ग्राहय नही होगा। इसके अलावा धारा–65B का प्रमाण पत्र वह व्यक्ति देगा जो सुसंगत कम्प्यूटर के सम्बन्ध में जिम्मेदारी अधिकारिक पद पर होगा अथवा सुसंगत कार्यकलापों के प्रबन्धन में होगा और उसका कम्प्यूटर पर वैध नियन्त्रण हो। धारा–65B के प्रमाण पत्र में धारा–65A(4) व 65B(2) में उल्लिखित शर्तें आना चाहिये। क्योकि इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य के साथ छेड–छाड़ करना बहुत आसान है इसलिये अभिलेख की स्पष्टता व प्रमाणिकता न्यायालय के समक्ष प्रकट करने के लिये धारा–65B साक्ष्य अधिनियम में उल्लिखित शर्तें पूरी होने के उपरांत ही इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राहय होगा। जहां तक प्राथमिक इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य का प्रश्न है उसको न्यायालय में पेश कर साबित करने के लिए धारा–65B साक्ष्य अधिनियम के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नही होगी। किन्तु वह व्यक्ति जो प्राथमिक साक्ष्य का स्वामी होगा उसको प्राथमिक साक्ष्य को न्यायालय में उपस्थित होकर साबित करना होगा कि यह वही उपकरण है जिसमें मूल सूचना पहली बार दर्ज की गयी और वह इस यंत्र का स्वामी है और उसके द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता था।

27– प्रस्तुत प्रकरण में इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य सीडी के विषय में पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा जितेन्द्र कुमार वर्मा ने अपनी मुख्यपृच्छा में बताया है कि– "घटना की वीडियों ग्राफी मेरे द्वारा अपने मोबाइल से की गयी थी। फिर मैंने मुकदमा दर्ज कराने के उपरांत थाने में वीडियोग्राफी की सीडी/डीवीडी तैयार करायी थी। मोबाइल से वीडियोग्राफी करने तथा सीडी/डीवीडी तैयार कराने में मेरे द्वारा कोई छेडछाड नहीं की गयी थी। विवेचक द्वारा मेरे बयान लिये थे व घटना स्थल दिखाया था और घटना की सीडी/डीवीडी मेरे द्वारा बिना किसी छेडछाड के विवेचक को दी गयी थी। घटना की वीडियोग्राफी करने तथा सीडी/डीवीडी तैयार कराने के संबंध में मैं माननीय न्यायालय के समक्ष धारा –

65(B)भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र दे रहा हूं। प्रमाण पत्र मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।'' जिरह में इस गवाह ने बताया है कि–''जो सी०डी० बनवायी है उसकी वीडियोग्राफी मैंने अपने फोन से की थी। मैंने अपना फोन मूल रूप से दाखिल नहीं किया। सी०डी० थाने के कम्प्यूटर आपरेटर से थाने पर ही तैयार करायी थी। उस आपरेटर का नाम मुझे ध्यान नही है। गवाह की लिस्ट में वह शामिल है या नहीं मैं नहीं बता सकता।''

28– इस प्रकार पी०डब्लू० 1 के अनुसार उसने अपने फोन से कथित जनसभा की वीडियोग्राफी की थी किन्तु यह मूल फोन अथवा उस पर लगी चिप पत्रावली पर दाखिल नही है। पी०डब्लू० 1 ने सीडी थाने पर कम्प्यूटर आपरेटर से तैयार करवायी, जिससे स्थापित हो जाता है कि यह सीडी थाने पर मौजूद किसी कम्प्यूटर आपरेटर ने बनायी थी। सीडी के संदर्भ में धारा–65B का प्रमाण पत्र वही व्यक्ति दे सकता है, जिसके द्वारा कम्प्यूटर पर सीडी बनायी गयी और जिसका कम्प्यूटर पर वैध नियंत्रण हो। इस प्रकार प्रदर्श क–1 जो कथित रूप से धारा–65B का प्रमाण पत्र बयान के समय पी०डब्लू० 1 ने दाखिल किया है, वह व्यर्थ दस्तावेज है क्योकि पी०डब्लू० 1 को धारा–65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र देने का अधिकार नही था। इसके अलावा धारा–65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र में उल्लिखित किये गये तथ्य वे नही है जो धारा–65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र में होना चाहिये। जिस कारण से धारा–65B भारतीय साक्ष्य अधिर्नियम का प्रमाण पत्र प्रदश –1 व्यर्थ दस्तावेज है और इस कारण सीडी वस्तु प्रदर्श–1 साक्ष्य में ग्राहय नही है।

29– अवर न्यायालय द्वारा द्वितीयक साक्ष्य के रूप में सीडी को ग्राहय साक्ष्य मानकर अवैधानिकता की है। यह सीडी, विधि व्यवस्था **अनवर पी.वी. बनाम पी.के.बशीर (2014)10 एस.सी.सी. 473** एवं **अर्जुन पंडित खोटकर बनाम कैलाश कुशन राव गोरन्तयाल (2020)7 एस०सी०सी० 1** के अनुसार न्यायालय में साबित नही है इसलिये साक्ष्य में ग्राहय नही है। अवर न्यायालय द्वारा उक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में सीडी के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नही दिया गया है केवल सरसरी तौर पर सीडी को साबित मानकर अवैधानिकता की है।

30– घटना के सम्बन्ध में पी०डब्लू० 1 के रूप में वादी मुकदमा एस.आई. जितेन्द्र कुमार वर्मा पेश हुये है, जिन्होने घटना के सम्बन्ध में अपनी मुख्यपृच्छा में यह बयान दिया है कि–''घटना दिनांक 11–02–2017 की है। उस समय उ०प्र० विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2017 का चुनाव चल रहा था। उस समय मैं थाना शहजादनगर की चौकी धमौरा पर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। घटना समय सुबह 10:15 बजे की है। घटना ग्राम धमौरा की है। मैं चौकी क्षेत्र में हेड कां० कावेन्द्र के साथ चौकी क्षेत्र में

भ्रमण में मामूर था। धमौरा में बज रहे लाउडस्पीकर की आवाज सुनकर मय हमराही मौके पर पहुंचा तो देखा कि गौतम गुप्ता निवासी धमौरा के आवास के बाहर तीन सेट लाउडस्पीकर पर भाजपा प्रत्याशी श्रीमती राजवाला सभा को सम्बोधित कर रही है। मेरे द्वारा सभा तथा लाउडस्पीकर की अनुमति दिखाने हेतु कहा गया। चूंकि उस समय आचार संहिता विद्यमान थी। अतः घटना की वीडियोग्राफी कर संबंधित के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया था। श्रीमती राजवाला 38–मिलक विधानसभा से प्रत्याशी थी। थाने पर मेरे द्वारा अभियुक्त गौतम गुप्ता व श्रीमती राजवाला के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। घटना की वीडियों ग्राफी मेरे द्वारा अपने मोबाइल से की गयी थी। फिर मैंने मुकदमा दर्ज कराने के उपरांत थाने में वीडियोग्राफी की सीडी/डीवीडी तैयार करायी थी। मोबाइल से वीडियोग्राफी करने तथा सीडी/डीवीडी तैयार कराने में मेरे द्वारा कोई छेडछाड नहीं की गयी थी। विवेचक द्वारा मेरे बयान लिये थे व घटना स्थल दिखाया था और घटना की सीडी/डीवीडी मेरे द्वारा बिना किसी छेडछाड के विवेचक को दी गयी थी। घटना की वीडियोग्राफी करने तथा सीडी/डीवीडी तैयार कराने के संबंध में मैं माननीय न्यायालय के समक्ष धारा–65(B)भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र दे रहा हूं। प्रमाण पत्र मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। मेरे द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त से लाउडस्पीकर तथा जनसभा की अनुमति दिखाने को कहा गया तो नहीं दिखा सके और न ही इस संबंध में किसी सक्षम अधिकारी का आदेश दिखाया। पत्रावली में सलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज संख्या–3क/1 ता 3क/2 गवाह को दिखाया गया जिस पर उसने कहा कि यह वही एफ०आई०आर० है जो मेरे द्वारा थाने पर जुबानी पंजीकृत करायी गयी थी। जिस पर मेरे हस्ताक्षर है जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। पत्रावली पर संलग्न मुकदमें से संबंधित सीडी/डीवीडीको न्यायालय की अनुमति से खोला गया तथा चलाकर देखा गया। गवाह से पूछा गया यह वही रिकार्डिंग थी जो आपके द्वारा घटना स्थल पर बनायी गयी थी। जिस पर गवाह ने कहा कि यह वही जनसभा की सीडी/डीवीडी है जो मेरे द्वारा घटनास्थल पर बनायी गयी थी। जिसमें भाजपा प्रत्याशी श्रीमती राजवाला द्वारा जनसभा को संबोधित किया था। जिस पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया। (बचाव पक्ष द्वारा प्रदर्श डालने पर आपत्ति की गयी)''

31– पी०डब्लू० 1 एस.आई. जितेन्द्र कुमार वर्मा की मुख्यपृच्छा में अभियुक्त गौतम गुप्ता को मौके पर उपस्थित होना नही दर्शाया गया है, केवल यह उल्लिखित किया गया है कि गौतम गुप्ता के आवास के बाहर तीन सेट लाउडस्पीकर पर भाजपा प्रत्याशी श्रीमती राजवाला सभा को सम्बोधित कर रही है। इसके बाद अपनी जिरह में अपनी मुख्यपृच्छा के बयानों में सुधार करते हुये गवाह ने यह बताया कि सभा का संचालन गौतम द्वारा किया जा रहा था। जबकि मामले के विवेचक पी०डब्लू० 4 उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार द्वारा यह

बयान दिया गया है कि–''प्र०–वादी द्वारा मुख्य परीक्षा में जो यह बयान दिया गया है कि "मेरे सामने गौतम गुप्ता के आमंत्रण पर प्रत्याशी श्रीमती राजवाला भाषण दे रही थी।" क्या यह बयान वादी मुकदमा ने अपने बयान 161 सी०आर०पी०सी० में दिया था। उत्तर–जी नहीं। प्र०–क्या गवाह हेड कां० कावेन्द्र ने अपने बयान में 161 सी०आर०पी०सी० में यह बताया था कि जब राजवाला भाषण दे रही थी तो वहां गौतम गुप्ता भी मौजूद थे। उत्तर–उक्त शब्द का प्रयोग अपने बयान में नहीं बताये थे, लेकिन गौतम गुप्ता वहां मौजूद होना वादी ने बताया था।''

32– इस प्रकार वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा अपने धारा–161 दं०प्र०सं०के बयान में यह कही नही कहा गया है कि गौतम गुप्ता के आमन्त्रण पर श्रीमती राजबाला भाषण दे रही थी और गौतम गुप्ता की मौके पर मौजूदगी के विषय में भी धारा–161 द०प्रं०सं० के बयान में कोई स्पष्ट कथन नही है और अपने बयानों में न्यायालय में सुधार किया है। जिससे स्थापित होता है कि यह गवाह सही बात न्यायालय के समक्ष पेश नही कर रहा है।

33– पी०डब्लू० 2 के रूप में कावेन्द्र सिंह को पेश किया गया है। जिन्होने अपनी मुख्यपृच्छा में यह बयान दिया है कि–''मैं थाना शाहजादनगर की चौकी धमौरा पर वर्ष 2016 नम्बवर से वर्ष 2019 दिसम्बर तक तैनात था। संदर्भित प्रकरण की घटना दिनांक 11–02–2017 की समय 10:15 बजे की है। एस०आई०जितेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी के साथ चौकी से रवाना होकर क्षेत्र में भ्रमण पर था। चौकी वापस आते समय घटना स्थल से 200–250 मीटर की दूरी पर आउडस्पीकर की आवाज सुनाई दी। जिसमें भाषण हो रहे थे। आवाज सुनकर जब हम लोग घटना स्थल पर पहुंचे तो देखा कि गौतम के मकान के सामने चबूतरे पर भाषण हो रहे थे, पब्लिक इकटठी थी चुनावी दौर था। आचार संहिता लगी थी। जनसभा का संबोधित श्रीमती राजवाला जो उस क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड रही थी। दरोगा जी ने सभी की परमिशन मागी तो गौतम ने और राजवाला ने कोई परमिशन नहीं दिखायी। दरोगाजी ने अपने मोबाइल से पूरे भाषण की वीडियों रिकार्डिंग की तथा थाने पर आकर दरोगा जी ने मुकदमा पंजीकृत कराया। चौकी से मैं और दरोगा जी लगभग 09 बजे चौकी क्षेत्र में निकले थे और घटनास्थल पर लगभग 10:15 बजे पहुंचे थे। गौतम गुप्ता के आवास के बाहर तीन सेट में लाउडस्पीकर पर भाजपा प्रत्याशी श्रीमती राजवाला सभी को सम्बोधित कर रही थी। चबूतरे के अधिकतर हिस्से पर टिन सेट पडी हुई है। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।''

34– इस प्रकार पी०डब्लू० 2 कॉ०कावेन्द्र सिंह की मुख्यपृच्छा में भी ऐसा कोई तथ्य नही है कि गौतम गुप्ता द्वारा यह जनसभा करवायी जा रही थी अथवा उसका संचालन करवाया जा रहा था। केवल यह तथ्य उल्लिखित है कि गौतम के मकान के सामने चबूतरे

पर भाषण हो रहा था। पी०डब्लू० 1 का जिरह में प्रथम बार दिया गया बयान कि गौतम गुप्ता जनसभा का संचालन कर रहे थे, की पुष्टि पी०डब्लू० 2 के बयानो से नही हो रही है।

35– इस प्रकार पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार वर्मा व पी०डब्लू० 2 कॉ० कावेन्द्र सिंह की गवाही के विवेचन से यह संदेहास्पद है कि गौतम गुप्ता द्वारा जनसभा का संचालन किया जा रहा था। गौतम गुप्ता की मौके पर उपस्थिति भी संदिग्ध है।

36– पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा बताया गया है कि गौतम के आवास के बाहर तीन सेट लाउडस्पीकर पर भाजपा प्रत्याशी श्रीमती राजवाला सभा को सम्बोधित कर रही थी। यह तथ्य पी०डब्लू० 2 कॉ०कावेन्द्र सिंह ने भी बताया है कि गौतम के मकान के सामने चबूतरे पर भाषण हो रहा था जबकि विवेचक पी०डब्लू० 4 जितेन्द्र कुमार द्वारा वादी मुकदमा उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार वर्मा व कॉ० कोवेन्द्र सिंह की निशानदेही पर जो नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 बनाया गया है, उसमें कोई चबूतरा नही दर्शाया गया है और न ही यह दर्शाया गया है कि लाउण्डस्पीकर कहॉ लगे थे और जो घटना स्थल दर्शाया गया है वह गौतम गुप्ता के घर के बाहर सड़क का दिखाया गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी साबित नही किया गया है कि जिस स्थल पर जनसभा कथित रूप से हो रही थी वह स्थल का मालिक गौतम गुप्ता था। जिससे पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 2 के बयान की सत्यता, कि गौतम गुप्ता के मकान के सामने सभा हो रही थी, संदिग्ध हो जाती है।

37– अभियोजन पक्ष द्वारा कथित घटना के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र साक्षी भी पेश नही किया गया है। जिसके सम्बन्ध में अवर न्यायालय द्वारा **कर्मजीत सिंह बनाम स्टेट (दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन)ए०आई०आर० 2003 सुप्रीम कोर्ट 1311** का हवाला दिया है, जिसमें यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि The testimony of police personal should be treated in the same manner as testimony of any other witness and there is no principle of law that without corroboration by independent witnesses their testimony cannot be relied upon. The presumption that a person acts honestly applies as much in favor of police personal as of other persons and it is not proper judicial approach to distrust and suspect them without good grounds. It will depends upon the facts and circumstances of each case and no principle of general application can be laid down.

38– इसके अलावा अवर न्यायालय द्वारा Surinder Kumar Vs. State of Punjab, (2020) 2 SCC 563 (Three–Judge Bench)Court cannot start with the presumption that police records are untrustworthy. As a proposition of law, presumption should be theother wayaround. Archaic notion to approach actions ofpolice with initial distrust should be discarded.Even Section 114, III (e) of the Evidence Act provides that it should be presumed that the official act has been regularly performed.

39– अवर न्यायालय द्वारा **कर्मजीत सिंह बनाम स्टेट (दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन)ए० आई०आर० 2003 सुप्रीम कोर्ट 1311** के तथ्यों का कोई संज्ञान नही लिया है, यह मामला टाडा व ¾ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से संबंधित था, जिसमें मुल्जिम स्वयं पुलिसकर्मी था और पुलिस की एक बडी टीम के द्वारा इसके आवास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर, टाइमर, बिजली की तारें, चुम्बक, नट बोल्ट, रैन्च इत्यादि भारी मात्रा में बरामद किये थे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरामदगी की प्रकृति के सम्बन्ध में पुलिसकर्मियों की गवाही को विश्वसनीय माना था और यह भी उल्लिखित किया था कि सभी मामले अपने तथ्यो, परिस्थितियों पर आधारित होते है।

40– अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था के तथ्यों पर न जाकर केवल निर्णय का एक भाग उठाकर निष्कर्ष दे दिया है कि स्वत्रंत साक्षियों की आवश्यकता नही होती है जबकि प्रस्तुत मामले में कोई भी बरामदगी नही है और पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 2 के बयान आपस में विरोधाभासी है और जिसमें न्यायालय में सुधार भी किया जा रहा है। इसके अलावा **प्रमोद कुमार बनाम स्टेट आफ दिल्ली, ए०आई०आर० 2013 सुप्रीम कोर्ट 3344, गोविन्दा राजू उर्फ गोविन्दा बनाम स्टेट आफ श्रीरामपूरम पी.एस. आदि, ए०आई०आर० 2012 सुप्रीम कोर्ट, 1292** में स्पष्ट रूप से यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की है कि पुलिस कर्मी के बयान के आधार पर न्यायालय दोषसिद्धि कर सकती है यदि उसका बयान भरोसेमंद हो और अधिमानतः अन्य साक्ष्य से उसकी पुष्टि हो रही हो। अवर न्यायालय द्वारा जो विधि व्यवस्था **Surinder Kumar Vs. State of Punjab, (2020) 2 SCC 563** का हवाला दिया है यह विधि व्यवस्था पुलिस के अपने रिकार्ड से संबंधित है और इस विधि व्यवस्था की सुंसगता प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर नही है।

41– प्रस्तुत प्रकरण में जो पुलिस कर्मी तथ्य के गवाह पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 2 के रूप में पेश किये गये है उनकी पुष्टि में अन्य कोई स्वत्रंत साक्षी अभियोजन द्वारा पेश नही किया गया है, न ही मौके से कुछ बरामद किया गया है, दोनो पुलिसकर्मियो ने न्यायालय में अपने बयानो में सुधार किया है और ऐसे तथ्य भी बताये है जो उनके धारा–161 दं०प्र०सं० के बयानों में भी नही है। केवल वीडियोग्राफी करके इतिश्री कर ली गयी है। विवेचक द्वारा वीडियोग्राफी की सीडी के सम्बन्ध में कोई धारा–65B का प्रमाण पत्र भी एकत्रित नही किया गया, जिसको अभियोजन द्वारा न्यायालय में पी०डब्लू० 1 की गवाही के दौरान पेश किया गय है, जो उपरोक्त विवेचन से एक व्यर्थ दस्तावेज पाया गया है।

42– अभियोजन पक्ष द्वारा पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार वर्मा व पी०डब्लू० 2 कॉ० कोवेन्द्र सिंह के अलावा जो अन्य साक्षी पेश किये गये है, उनमें

पी०डब्लू० 3 कॉ० 1067 पुष्पेन्द्र कुमार वह साक्षी है, जिसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है। यह साक्षी एक औपचारिक साक्षी है और इसकी साक्ष्य से मामले पर कोई प्रभाव नही पड़ता है। पी०डब्लू० 4 उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार मामले का विवेचक है, जिसकी मुख्यपृच्छा व जिरह का विवेचन पूर्व में किया जा चुका है, किन्तु इस गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक की पुष्टि नही हो रही है।

43– इस प्रकार मौके पर जनसभा होना ही संदेहास्पद है और जब जनसभा होना ही संदेहास्पद हो जाता है तो ऐसे में निर्वाचन के सम्बन्ध में अवैध संदाय पर कोई प्रश्न उत्पन्न नही होता है। अतः धारा–171H भारतीय दण्ड संहिता का आरोप भी अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नही कर पाया है।

44– इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि मुकदमें का आधार आदर्श आचार संहिता, जिसके उल्लंघन के कारण यह मामला योजित किया गया है वह अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में पेश नही किया गया है। एक धारा –144 दं०प्र०सं० के आदेश की प्रति कागज सं० 8 ख/16 व 8 ख/17 फोटो प्रति दाखिल की है, जिसको अभियोजन पक्ष द्वारा साबित करके प्रदर्शित नही करवाया गया है, को साक्ष्य में अवैधानिक रूप से ग्राहय मानकर अवर न्यायालय ने उसमें उल्लिखित शर्तो का उल्लंघन मानकर सजा की है, जो उपरोक्त विवेचन से अवैधानिक है और इस प्रकार जब मामले का आधार ही पत्रावली पर नही है तो मामला स्वयं समाप्त हो जाता है। फिर भी, अभियोजन पक्ष द्वारा जनसभा की सीडी साक्ष्य में दाखिल की गयी है वह भी उपरोक्त विवेचन से साक्ष्य में ग्राहय नही है, जिसको साक्ष्य में ग्राहय मानकर भी अवर न्यायालय ने अवैधानिकता की है। प्रकरण का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है केवल पुलिस कर्मी साक्षी है, जिनके बयानों की पुष्टि पत्रावली पर दाखिल किसी साक्ष्य से नही होती है। नक्शानजरी भी सरसरी रूप से बनाया गया है, उसमें भी जनसभा का स्थल विश्वसनीय नही है। मुल्जिम गौतम गुप्ता की उपस्थित संदिग्ध है और उपरोक्त विवेचन से मौके पर मुल्जिम श्रीमती राजबाला के द्वारा जनसभा का संबोधन भी संदिग्ध है।

45– अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/दण्डादेश त्रुटिपूर्ण है, विधिक रूप से पुष्ट किये जाने योग्य नहीं है। फलस्वरूप अपीलार्थी/अभियुक्त गौतम गुप्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या–37/2023 एवं अपीलार्थी/अभियुक्त श्रीमती राजबाला प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या–38/2023 स्वीकार किये जाने योग्य है तथा विचारण न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय/दण्डादेश निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थी/अभियुक्त **गौतम गुप्ता** द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या–37/2023 एवं अपीलार्थी/अभियुक्त **श्रीमती राजबाला** प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या–38/2023 स्वीकार की जाती है। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायाधीश (एम० पी०/एम०एल०ए०), रामपुर द्वारा आपराधिक वाद संख्या–114/2022 में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांकित 15–04–2023 अपास्त किया जाता है।

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **गौतम गुप्ता** एवं **श्रीमती राजबाला** को आपराधिक वाद संख्या–114/2022, मु०अ०सं०–110/2017, थाना–शहजादनगर, जिला रामपुर में लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–171H, 188 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता सपठित से दोषमुक्त किया जाता है। यदि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अर्थदण्ड की कोई धनराशि जमा की गयी होगी तो वे उसे नियमानुसार वापस प्राप्त करने के अधिकारी होगें।

इस निर्णय की एक प्रति दाण्डिक अपील संख्या–38/2023, श्रीमती राजबाला बनाम उ०प्र०राज्य की पत्रावली पर रखी जाये।

विद्वान अवर न्यायालय का अभिलेख अबिलम्ब वापस किया जायें।

दिनांक 19–07–2023

(अमित वीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, (एम.पी./एम.एल.ए.)
कोर्ट सं० 2, रामपुर।
J.O.Code–U.P.6240

निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 19–07–2023

(अमित वीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, (एम.पी./एम.एल.ए.)
कोर्ट सं० 2, रामपुर।
J.O.Code–U.P.6240